

बिहार सरकार

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक:- पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,
वाणिज्य-कर आयुक्त -सह- प्रधान सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत वृहत् प्रक्षेत्र की ईकाइयों को वैट प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो0 नीति, 2011 के अंतर्गत उद्योग विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-1511 दिनांक-25.05.17 की कंडिका-5 के आलोक में वैट प्रतिपूर्ति हेतु अनुलग्नक-I में ईकाइयों की सूची एवं मूल आवेदन पत्र संलग्न है। यह सभी आवेदन पत्र क्रम अनुसार Online प्राप्त किये गये हैं। आवंटनादेश संख्या-12/आ0 दिनांक-29.05.2017 के आलोक में वैट की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

(i) ईकाई द्वारा भुगतान किए गए कर की रिकॉर्ड (record) से जाँच कर एवं पूर्व में की गई प्रतिपूर्ति की जाँच वाणिज्य-कर विभाग द्वारा की जाएगी। भुगतान किए गए कर के जाँचोपरान्त निर्धारित अधिसीमा के अंतर्गत वैट प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।

(ii) ईकाई द्वारा भुगतान किए गए Advance tax पर वैट प्रतिपूर्ति का भुगतान देय नहीं होगा। Advance tax का सामंजन बकाये कर के विरुद्ध करने के पश्चात् जो वास्तविक कर का भुगतान होगा उसी के विरुद्ध ही प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगा।

(iii) ईकाई को वैट की प्रतिपूर्ति करते समय यह ध्यान रखा जाय कि यह सुविधा उन्हीं ईकाइयों को देय है जो उत्पादन में हैं व कार्यरत है। तथा ईकाई जिस वस्तु के उत्पादन में है, उसी उत्पादित सामग्री पर जमा किए गए कर के विरुद्ध प्रतिपूर्ति किया जाय।

(iv) जो ईकाई Trading या Repacking का कार्य कर रही है, उन्हें वैट प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।

(v) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि Public Demand Recovery Act के तहत वसूल कर ली जाएगी।

(vi) वैट प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई राशि की सूचना अविलंब विभाग को दी जाएगी ताकि उद्योग विभाग का अभिलेख अद्यतन रखा जा सके।

(vii) उक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में उद्योग विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1511, दिनांक-25.05.2017 एवं आवंटनादेश संख्या-12/आ0 दिनांक-29.05.2017 के आलोक में तथा दिए गए सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

अनुलग्नक : यथोपरि।

ह0 / -

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक- 3688

पटना, दिनांक..... 01.12.17


प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:- संबंधित महाप्रबंधक/संबंधित ईकाइयों/आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

अनुलग्नक-I बृहत प्रक्षेत्र की ईकाइयों की सूची

Sl No	Vat Regd No & Circle	Claim for the Financial Year	Unit Name & Address	Total Investment	Total Refund Taken till date	Claimed Amount of refund	Proposed Adjustment 25% of Claim
119	10050875050 Hajipur	2016-17	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED, INDUSTRIAL AREA, EPIP HAJIPUR, DISTRICT - VAISHALI, BIHAR - 844 101	511189000	614947603	231019817	57754954


उप उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना